

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 21/24 प्रा/पत्र

1- श्रीमती बन्धु लाल देवी लाल बलई निवासी- बलईखेडा तहसील-माण्डल (तहसील)

प्रार्थी

बनाम

पिकी 010 बैकलाल वर्मा (बलई) निवासी पद्माशामली हाऊस के पास अग्रेसर नगर
फिशनगढ़ तहसील फिशनगढ़ जिला- राजमेर (राज०) वर्मा प्रखण्ड प्रा.पत्रा.सं.

- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
ग्राम बलईखेडा हल्का माण्डल माण्डल जिला माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की
आराजी न० 9756/3319 किता 01 रकबा 0.1391 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.02.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी करान का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बलईखेडा
हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 9756/3319
कुल किता 01 रकबा 0.1391 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जमा करी किये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण माण्डल
को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर पत्थरगढी
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की-जावे। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल